राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

कार्यालय का पता :– स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर फोन नं. 0141– 2924357 Email - rajhealth-supp-rj@gov.in

क्रमांक :– राजहैल्थ/2025/50 **दिनांक :–** (AS PER SIGNATURE)

–::आदेश::–

निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांक 02 दिनांक 03.01.2025 के द्वारा नव चयनित 149 अभ्यार्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु राजहैल्थ पॉर्टल के माध्यम से रिक्त पदों पर पदस्थापन के लिये विकल्प भरने हेतु निर्देशित किया गया था को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

फलस्वरूप राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा (149+65) 214 चयनित अभ्यार्थी, जिनका परिणाम जारी किया गया है, को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु राजहैल्थ पॉर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कॉन्सिलिंग के अन्तर्गत **विभागीय आवश्यकता के मध्यनजर प्रदर्शित की जा रही रिक्तियों** पर विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इन 214 चयनित अभ्यर्थियों में वो अभ्यार्थी जिन्होने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में निदेशालय के आदेश क्रमांक 473 दिनांक 15.11.2024 एवं 481 दिनांक 22.11.2024 द्वारा ''ऑफलाईन'' विकल्प प्रस्तुत किये हैं, अतः पूर्व में प्रस्तुत ऑफलाईन विकल्पों के अतिक्रमण में, ईच्छुक होने की स्थिति में, ऑनलाईन कॉन्सिलिगं के अन्तर्गत अपने विकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अतः संबंधित नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग एवं सीफू की वेबसाईट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे **www.rajhealth.rajasthan.gov.in** पर लॉग–इन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए, संलग्न दिशा–निर्देशानुसार अपने पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प प्रस्तुत करें।

वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन स्थान हेतु दिनांक 10.03.2025 से 17.03.2025 रात्रि 12 बजे तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना/विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे।

संलग्न – दिशा–निर्देश

निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक :– राजहैल्थ/2025/50 **दिनांक :–** (AS PER SIGNATURE)

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक(जन स्वा0), मुख्यालय।
5. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश एवं संलग्न दिशा निर्देश, आपके संस्थान की वेबसाईट पर भी अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. संबंधित नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाईट।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma I
Designation : Director
Date :10-03-2025 07:28:28

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

Email - rajhealth-supp-rj@gov.in

<u>महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नवचयनित अभ्यर्थियों हेतु दिशा–निर्देश</u>

1. नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राजहैल्थ पॉर्टल पर उनके द्वारा सीफू के ऑन लाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के सम्बन्ध में लॉग–इन करना होगा।
2. लॉग–इन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थी को पॉर्टल पर पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने/शीफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में सम्बन्धित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करवाते समय की जायेगी एवं गलत/झूठी सूचना अंकित करने पर सम्बन्धित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में से **नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम 50 एवं टीएसपी एरिया में कम से कम 20 विकल्प भरने अनिवार्य है**। जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑपश्न नहीं होगा।
6. पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतया रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर कॉउन्सिलिगं के माध्यम से किया जायेगा।
7. **<u>अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं है</u>**। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा **अतः अभ्यार्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।** यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाईन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रेन्डम आधार आवंटन किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें।
8. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा की वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्तानुसार रिक्तियां भरने के उपरान्त शेष रही रिक्तियों पर रेण्डम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है।
10. विभाग द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है।

निदेशक (अराजपत्रित)

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma I
Designation : Director
Date :10-03-2025 07:28:24